

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को धनराशि देने वाला ग्राम पंचायत को २५६७

प्राप्ति- ३५,८६१.५७

विषय- ०१-०११

कार्य- ०१११

ग्राम पंचायत में वित्तीक अवधि-प्रदान को ग्राम पंचायत की एक वित्तीक अवधि को जिसके विचारणा से वित्तीक अवधि-प्रदान किया गया।



१- ग्राम पंचायत की एक वित्तीक अवधि-प्रदान की वित्तीक अवधि को जिसके विचारणा से वित्तीक अवधि-प्रदान किया गया है।

क्रम	पदार्थ का नाम	परिकल्पना (वित्तीक)	प्रदानित (प्रदान)	संग्रहीत
१	कुमार-प.कुमार	२११६.६०	४८	३४२३१
२	कुमार-कुमार सरोज	२२२१.२१	४०	६३३३५३३७३२
३	कुमार-कुमार इन्द्र	३४४८	४९	३३३६३७२२७४
४	कुमार-कुमार	३४४८	३९	८१२७२६६९५१
५	कुमार-कुमार	३४४८	३५	७४२७२३३०१५
६	कुमार	३४४८	६१	३३३६६५२०५७
७	कुमार-कुमार	३४४८	२५	८५४३३२४५७२
८	आमिशा कुमार	३४४८	२७	३११३९२८०४८
९	आमिशा कुमार	३४४८	२७	२३६३३२३३३६
१०	आमिशा कुमार	३४४८	५८	१३३६६५२०५७
११	आमिशा कुमार	३४४८	३३	७४२७२९९०१५
१२	आमिशा कुमार	३४४८	३५	७२७५३५१३९५
१३	आमिशा कुमार	३४४८	४०	११९८८१५९४५
१४	आमिशा कुमार	३४४८	५५	१६१९१२९९७७
१५	आमिशा कुमार	३४४८	४५	७९१९१३२६६३

२- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता विभाग / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई रतर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

३- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।


४- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यव्याही करें।



- 5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।
- 6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वयित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यतानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु तकनीकि विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- 7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध प्रत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।
- 8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध करायें तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।
- 9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति के निरिक्षण में सहयोग प्रदान करें।
- 11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षरः-

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या लिंग 0 अगूठौ
1	सुरेश चन्द्र दुबे	अध्यक्ष	गुरुनाथ ठाके
2	मुर्केश कुमार सराज	सचिव	
3	दिनेश चन्द्र दुबे	कोषाध्यक्ष	दिनेश ठाके
4	पवन कुमार	सामान्य सदस्य	पवन कुमार
5	विजय कुमार	सामान्य सदस्य	विजय
6	शोभा द्वारा	सामान्य सदस्य	शोभा द्वारा
7	विकाश दुबे	सामान्य सदस्य	विकाश
8	आभिषेक दुबे	सामान्य सदस्य	आभिषेक
9	आकाश दोडा	सामान्य सदस्य	आकाश
10	पावती देवी	सामान्य सदस्य	पावती
11	काविता देवी	सामान्य सदस्य	काविता
12	ज्ञानती देवी	सामान्य सदस्य	ज्ञानती देवी
13	उषा देवी	सामान्य सदस्य	उषा देवी
14	मना देवी	सामान्य सदस्य	मना
15	पावती देवी	सामान्य सदस्य	पावती



ग्राम पंचायत अधिकारी
विंदु जानपुर
जनपद-भरतोहीन